कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

उत्तराखण्ड शासन

तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946–220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

पत्रांक– 2024 /12-1 ,हल्द्वानी दिनांक– 05 /04 /2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः– **जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी. 0.00 (देवलामल्ला) से किमी. 2.00 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (OnlineNo-FP/UK/ROAD/20099 /2016)**

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/215/2016/एफ.सी./1447, दिनांक– 19.01.2022 एवं आपका पत्रांक–1838/1 जी.– 2095 (रा०रा०प्रा०) दिनांक–24.01.2022 एवं पत्रांक–1851/FP/UK/ROAD/20099 /2016 दिनांक–25.01.2022 तथा आपका पत्रांक–1435/12–1 दिनांक–31.03.2022।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने पत्र संख्या–297/29 Mg दि० 11.02.2022 आपत्तियों का निस्तारण कर प्रेषित किया गया है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। अतः संकलित सूचना बिन्दुवार निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	पाँच वर्ष से अधिक अवधि पूर्व यह प्रकरण को अपलोड किया गया था तथा ई0डी0एस0 का उत्तर पाँच वर्ष से अधिक अवधि उपरान्त दिया गया है। इस अवधि हेतु प्रस्तुत स्पष्टीकरण मान्य योग्य नहीं है।	विषयांकित मार्ग की स्वीकृति के उपरान्त सर्वेक्षण एवं संमरेखन अनुमोदन उपरान्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर प्रस्ताव दिनांक–20.06.2016 को ऑनलाईन अपलोड किया गया। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो०नि०वि० उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक–112–01 यातायात 30/2012 दिनांक–01.02.2013 में निर्देशित किया गया था, कि 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोड़े जाने हेतु समस्त निर्माण कार्य पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड द्वारा किया जायेगा। उक्त क्षेत्र की जनसंख्या 278 होने के कारण उनके कार्यालय के पत्रांक–1146/29 एम०जी० दिनांक–19.07.2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड लो.नि.वि. काठगोदाम को हस्तगत किया गया। परन्तु काफी समय के उपरान्त पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड लो.नि.वि. काठगोदाम ने अपने पत्रांक–220/ पी.एम.जी.एस.वाई. सि०ख० दिनांक– 31.08.2020 द्वारा प्रकरण अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खण्ड लो.नि.वि. नैनीताल को इस आशय से लौटाया गया कि संबंधित ग्राम कोर नैटवर्क से नहीं जुड़ा होने के कारण मार्ग का निर्माण कार्य पी.एम.जी.एस.वाई. खण्ड से नहीं किया जा सकता है। जिसकी विस्तृत आख्या आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या–2058/8सी० दिनांक–01.09.2021 द्वारा प्रेषित की गयी थी। **(संलग्न–1)** अतः उपरोक्त कारणों से आपत्तियों के निराकरण में समय लगा।
2.	यदि पूर्ण प्रस्तावित प्रकरण वन क्षेत्र में स्थित है, तो इस स्थिति में के0एम0एल0 पर उपलब्ध विवरण अनुसार वन क्षेत्र में अतिक्रमण परिलक्षित है जिस पर राज्य सरकार का स्पष्ट उत्तर वांछित है।	प्रस्तावित प्रकरण वन क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र के कालूखेड़ा क०सं०–1 में 1973 से पूर्व का अतिक्रमण है, जिसका उल्लेख प्रभाग की कार्ययोजना में भी किया गया है।
3.	के0एम0एल0 अनुसार पूरे क्षेत्र में पूर्व से ही मार्ग निर्मित है तथा प्रस्तावित मार्ग पूर्ण रूप से इसी पर स्थित है। अतः पूर्व में इस मार्ग निर्माण की एफ.सी.ए. के तहत् स्वीकृति ली गई थी अथवा नहीं इसकी जानकारी प्रस्तुत करें।	मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 से पूर्व ब्रिटिशकाल से निर्मित पैदल मार्ग पर ही प्रस्तावित किया गया है। पूर्व से निर्मित पैदल मार्ग हेतु 6.00 मी. चौड़ाई में भूमि का अधिग्रहण किया जाता था, एवं पैदल मार्ग का निर्माण 2.00 मी. चौड़ाई में किया जाता है। विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग

		का रखरखाव 16.00 किमी. लम्बाई में लो.नि.वि. के द्वारा किया जाता है। अवशेष भाग पहाड़पानी तक अ०ख०, लो.नि.वि. भवाली द्वारा किया जाता है। मोटर मार्ग निर्माण ब्रिटिशकाल से निर्मित पैदल मार्ग पर समय–समय पर नदी के डिपोजिट एवं भरान के कारण प्रारम्भिक लगभग 250 मी. में मार्ग की चौड़ाई में बढ़ोत्तरी हुई। प्रस्तावित कार्य में पूर्व से निर्मित पैदल मार्ग के प्रथम दो किमी. को मोटर मार्ग में परिवर्तन/सुधारीकरण/डामरीकरण एवं नदी में Causeway प्रस्तावित है। प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण इसी पैदल मार्ग पर प्रस्तावित किया गया है, जिस हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति आवश्यक है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। शासन स्तर से भी मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रेषित डी.पी.आर. की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति भी मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि विभाग के नाम हस्तान्तरण उपरान्त ही प्रदान की जाती है।
4.	राजि अधिकारी द्वारा लेख किया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र में कोई मार्ग अथवा कोई अतिक्रमण स्थित नहीं है जो सही प्रतीत नहीं होता है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।	मोटर मार्ग का निर्माण पूर्व निर्मित पैदल मार्ग पर ही प्रस्तावित किया गया है। क्योंकि पैदल मार्ग पर कोई अतिक्रमण नहीं है सम्भवतः इसीलिए राजि अधिकारी द्वारा अतिक्रमण नहीं होने का उल्लेख किया गया है। पैदल मार्ग के बायी तरफ Point no-10 के समीप अतिक्रमण है, जो 1973 से पूर्व का अतिक्रमण है, जिसका उल्लेख प्रभाग की कार्ययोजना में भी किया गया है।
5.	Land schedule के अनुसार मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित वन भूमि की गणना 9 मीटर चौड़ाई में की गई है तथा सम्बन्धित वृक्षों की गणना भी 9 मीटर में ही की गई प्रतीत होती है। आपसे अनुरोध है कि 7 मीटर चौड़ाई में वृक्षों की गणना प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	प्रस्तावित मोटर मार्ग की 7.0 मी चौड़ाई में संयुक्त गणना हेतु दिनांक–02.02.2022 को वन भूमि क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जिसके क्रम में राजि अधिकारी छकाता द्वारा अपने पत्रांक–643–12 दिनांक–09.03.2022 द्वारा 7.0 मी चौ० में पेड़ों की गणना की सूची प्रेषित की गयी है। जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है। ***(संलग्नक–2)***
6.	राज्य सरकार से अनुरोध है कि भाग–II के पैरा 14 में दी गई District profile में सही जानकारी प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	डिस्ट्रिक्ट प्रोफाईल की सही जानकारी ऑन–लाईन और ऑफ–लाईन प्रस्तुत है। ***(संलग्नक–3)***
7.	उपलब्ध मार्ग पर्याप्त चौड़ाई का प्रतीत होता है तथा प्रस्तावित मार्ग की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। राज्य सरकार इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	पैदल मार्ग पूर्व में निर्मित है। प्रस्तावित मार्ग के 7.00 मी. चौ० में वृक्षों की गणना की गयी है। अतः 7.00मी. चौ० में मार्ग के सुधार एवं निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति आवश्यक है।

उपरोक्त मार्ग के निर्माण होने से स्थानीय जनता को सुगम यातायात कृषि व्यवसाय एवं चिकित्सा स्वास्थ्य इत्यादि की सुविधाएं प्राप्त होगी। अतः व्यापक जनहित एवं स्थल की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक संख्या/उक्त दिनांकित 2024/-

प्रतिलिपि–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–अधिशासी अभियन्ता प्रांतीय खण्ड लो.नि.वि. नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

UTTARAKHAND

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

उत्तराखण्ड शासन

सलग्न-1

4/9/2021

पत्रांक :- 2058/8C

दिनांक – 1/9/2021

हल्द्वानी वन प्रभाग
पत्रावली संख्या 13-1
क्रम सं०
पंजीकृत सं० 1503
दिनांक 4-9-21

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी।

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 317/2013 के जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाडपानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए कच्चे मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर कॉजवे के निर्माण के संबंध में। (एफ0पी0/यू0के/रोड/20099/2016)

सन्दर्भः– आपका पत्रांक– 523/13–1 हल्द्वानी दिनांक 26.08.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में पूर्व भारत सरकार के पत्र दिनॉक 15/05/2021 के बिन्दु संख्या –1 में स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया है कि प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक 112/01याता0 (क)–उ0/2012 दिनांक 01.02.2013 द्वारा निर्देशित किया गया था कि 250 की जनसंख्या से अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोड़े जाने वाले मोटर मार्ग को पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड द्वारा मार्गो का निर्माण किया जायेगा। जिस कारण इस मोटर मार्ग को इस कार्यालय के पत्रांक– 1146/29एम0जी0 दिनॉक– 19/07/2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड काठगोदाम को हस्तगत कर दिया गया था। (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न) जिस कारण इस कार्यालय द्वारा आख्या नही भेजी जा सकी परन्तु पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड काठगोदाम द्वारा विषयक मोटर मार्ग को पुनः इस खण्ड को अपने कार्यालय पत्रांक– 420/ पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0ह0/ दिनॉक–31/08/2020 द्वारा प्रस्ताव लौटाया गया जो इस कार्यालय में दिनॉक– 01/09/2020 को प्राप्त हुई थी। जिस पर नोडल अधिकारी देहरादून के Online eds दिनॉक 11/12/2020 को 5 बिन्दुओं पर आपत्तियों में प्राप्त हुआ जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक– 747/29एम0जी0 दिनॉक– 26/03/2021 द्वारा बिन्दुवार आख्या तैयार कर आपके कार्यालय में प्रेषित किया गया (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न) एवं भारत सरकार के पत्रांक– 8बी./यू.सी.पी./06/215/2016/एफ0सी0/156 दिनॉक–15/05/2021 द्वारा 17 बिन्दुओं पर आपत्तियॉ लगायी गयी थी जिसका बिन्दुवार प्रतिउत्तर तैयार कर मय संलग्नक सहित आपको इस कार्यालय के पत्रांक– 1557/29एम0जी0 दिनॉक– 17/07/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न) साथ ही यह भी उल्लेखित किया जाना है कि विषयक मोटर मार्ग का जिस समरेखन हेतु पूर्व में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रेषित किया गया है उस समरेखन में कोई परिवर्तन नही किया गया है तथा इस मोटर मार्ग को मार्गदर्शी के पैरा– 1.20 के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र आपको संलग्नक कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर अपने स्तर से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। तॉकि वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त कर जनहित में उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कराया जा सकें।

1/9/21

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 ख0, लो0 नि0 वि0
नैनीताल

पत्रांक :– / दिनांक – / /

प्रतिलिपिः–सहायक अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0 नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 ख0, लो0 नि0 वि0
नैनीताल

संलग्नक "A"

(1)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल
दूरभाष न0 05942-235672 फैक्स न0 05942-233549 ई-मेल-eepdpwdntl@gmail.com

पत्रांक :- /
सेवा में दिनॉक :- / /

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड
काठगोदाम।

विषयः- 250 से अधिक आबादी के ग्रामों को संयोजकता हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्डों द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - प्रमुख अभियन्ता ,लो0 नि0 वि0 उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक संख्या 112/0/यातायात (क)-उ/ 2012 दिनांक 01.02.2013
एवं
आपका पत्रांक 587/1 सी0 दिनांक 08.06.2017

महादय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में इस खण्ड से सम्बन्धित निम्नलिखित मोटर मार्ग जो 250 की जनसंख्या से अधिक आबादी के ग्रामों को जोडते हैं। सम्बन्धित प्रकरण आपको मय संलग्नकों के साथ हस्तगत किये जा रहे है।

1 विजयपुर पहाडपानी मोटर मार्ग (मल्ला देवला से विजयपुर लम्बाई 2 किमी0(आबादी 278)

संलग्नः- वन भूमि प्रस्ताव की मूल प्रति (1 न0)

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 ख0 लो0नि0वि0
नैनीताल

पत्रांक - 1146/29 MG Dt - 19/07/17

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख अभियन्ता ,लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता ,कुमायूँ लो0नि0वि0 हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त ,लो0नि0वि0 नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक अभियन्ता तृतीय ,लो0नि0वि0 नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
5. खण्डीय अमीन को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 ख0 लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड
काठगोदाम (नैनीताल)

सलग्न-"A"-1

पत्रावली संख्या...3226
पंजिका संख्या...29M
दिनांक...01/09/2020

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)
स्थित–जमरानी बांध कॉलोनी दमुवाढुँगा (हल्द्वानी)
Email:eepmgsyhld@rediffmail.com

पत्रांक–420/पीएमजीएसवाई/सि0ख0ह0/ दिनांक:–31/08/2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड
लो0नि0वि0, नैनीताल।

विषयः– माननीय मुख्य मंत्री घोषणा सं0 317/2013 के अनतर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनःनिर्माण सूखी नदी पर कॉजवे का निर्माण (प्रथम चरण) (वास्तविक लम्बाई 1.70 किमी0) वनभूमि प्रकरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग का वन भूमि प्रकरण प्रस्ताव फोटो स्टेट कॉपी जो हमें प्राप्त हुई थी। जो मूल में आपके कार्यालय को प्रेषित की जा रही है।

संलग्न- 01 नग वनभूमि प्रस्ताव (फोटोकॉपी)

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0 खण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

1 नग वन भूमि प्रस्ताव की छाया प्रति प्राप्त
मूल कॉपी प्राप्त नहीं हुई है।

01/09/2020

R. 3226/29 M/01/09/2020
वन भूमि लगायत

1/9/20
1-9-020

संलग्न - "A" -1

Vijaypur Pahadpani m/central EDS दिनांक 29/1/2021

FP/UK/Road/2099/2016 Date-11/12/2020

With reference of RO office, MOEFCC, GOI, EDS dated-26/09/2016(screenshot attached)

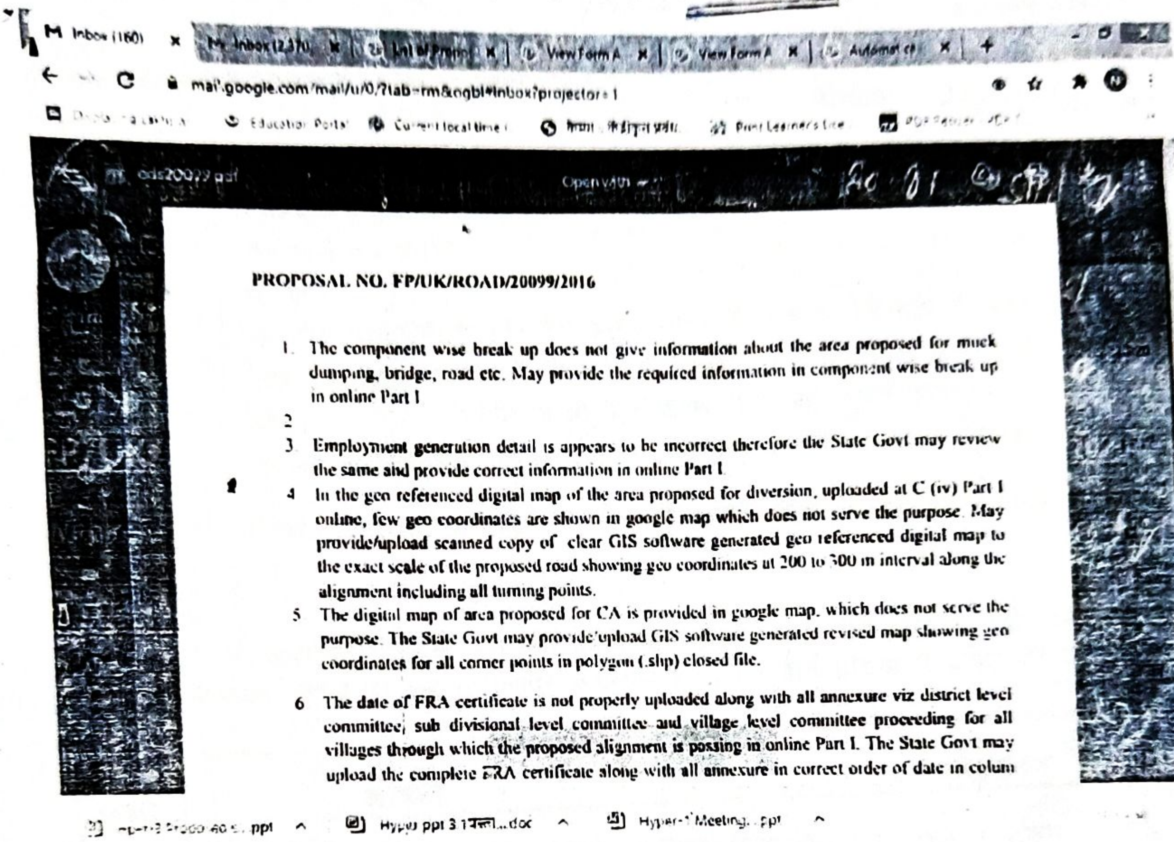

PROPOSAL NO. FP/UK/ROAD/20099/2016

1. The component wise break up does not give information about the area proposed for muck dumping, bridge, road etc. May provide the required information in component wise break up in online Part I
2.
3. Employment generation detail is appears to be incorrect therefore the State Govt may review the same and provide correct information in online Part I.
4. In the geo referenced digital map of the area proposed for diversion, uploaded at C (iv) Part I online, few geo coordinates are shown in google map which does not serve the purpose. May provide/upload scanned copy of clear GIS software generated geo referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points.
5. The digital map of area proposed for CA is provided in google map, which does not serve the purpose. The State Govt may provide/upload GIS software generated revised map showing geo coordinates for all corner points in polygon (.shp) closed file.
6. The date of FRA certificate is not properly uploaded along with all annexure viz district level committee, sub divisional level committee and village level committee proceeding for all villages through which the proposed alignment is passing in online Part I. The State Govt may upload the complete FRA certificate along with all annexure in correct order of date in colum

Reply is submitted at your end for submission to RO office but the reply for point 1,4,5,7,8 and 9 is not correct.

1- For point no. 1- still no details regarding muck is updated in component wise break up at B-2.4 in Part I. Kindly make the necessary rectification.
2- For point no. 4, reply is forwarded for CA area; however the query is concerned with Maps of the proposed land. Kindly send the reply and make necessary corrections as sought in EDS.
3- For point no.5, still the Google map is uploaded. Kindly uploaded the Map as per the standard format.
4- For point no. no. 7, kindly upload the detailed justification at relevant place.
5- For point no. 8 and point no.9, the name of CA area mismatch with what mentioned in the CA site suitability certificate, CA scheme and online portal information. Kindly rectify accordingly.

............NODAL OFFICE..............

संलग्न– "A"

(1)

UTTARAKHAND

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

उत्तराखण्ड शासन

पत्रांक :– 747/29MG दिनांक – 26/03/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग
नैनीताल

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 317/2013 के जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाडपानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए कच्चे मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर कॉजवे के निर्माण के संबंध में। (एफ0पी0/यू0के/रोड/20099/2016)

सन्दर्भः– नोडल अधिकारी देहरादून के ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 11.12.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ऑनलाईन ई0डी0एस0 द्वारा लगायी गयी। निम्नलिखत आपत्तियों का बिन्दुवार निम्नवत निराकरण कर ऑनलाईन अपलोड करते हुए हार्ड प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

क0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	For point no 1 - Still no details regarding muck is updated in component wise break up at B-2.4 in part I.Kindly make the necessary rectification.	महोदय बिन्दु सं0 1 के कम में अवगत कराया जाना है कि यह मार्ग मैदान क्षेत्र में प्रस्तावित है। जिस कारण इस मार्ग निर्माण से लगभग 15288.00 घनमीटर मलुवा उत्सर्जित होना है। (आगणन ऑन लाईन अपलोड) तथा मार्ग को मोटर मार्ग में बनाये जाने हेतु 17593.75 घनमीटर मलुवे की आवश्यकता है जो उत्सर्जित मलुवे से 2305.75 घनमीटर मलुवा अधिक है। अवशेष 2305.75 घनमीटर मलुवे को अलग से स्टोन कैशर से कय कर भरान किया जायेगा। जिसका प्राविधान डी0पी0आर0 में रखा जायेगा। इसलिए इस परियोजना हेतु मलुवा निस्तारण के लिए डम्पिंग यार्ड की आवश्यकता नही है। जिस कारण इस विवरण का ऑन लाईन फार्म ए के पार्ट–। पैरा बी0 2.4 में कम्पोनैन्ट वाईज ब्रेकअप में अंकित नही है।
2	For point no 4 – Reply is forwarded for CA area, however the quarry is concern with maps of the proposed land. Kindly send the reply and make necessary correction as sought in EDS.	बिन्दु सं0 4 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का सही डिजिटल मानचित्र तैयार कर ऑन लाईन फार्म–ए के पार्ट–। के पैरा–एल (v & vi) में सम्पूर्ण विवरण के साथ अपलोड कर दिया गया है।
3	For point no 5 – Still the google map is uploaded. Kindly uploaded the map as per the standard format.	बिन्दु सं0 5 के अनुपालन में सही फॉर्मेट में डिजिटल मानचित्र तैयार कर ऑन लाईन फार्म–ए के पार्ट–। के पैरा–सी0(iii & iv) में अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न– "A"

4	For point no 7 – Kindly uploaded the detailed justification at relevant place.	बिन्दु सं0 7 के अनुपालन में जस्टीफिकेशन तैयार कर ऑन लाईन फार्म–ए के पार्ट–। के पैरा डी0(i) में अपलोड कर दिया गया है।
5	For point no 8 & 9 – The name of CA area mismatch with what mentioned in the CA site suitability certificate, CA scheme and online portal information.Kindly rectify accordingly.	बिन्दु सं0 8 एवं 9 के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम जुआ में स्थल चयनित किया गया। जिसका नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण के उपयुक्तता के प्रमाण पत्र एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण के योजना के प्रपत्रों में अंकित कर ऑन लाईन फार्म–ए के पार्ट–1 के अतिरिक्त संलग्नक के कम सं0–39 में अपलोड कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कृपया प्रस्ताव में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। तॉकि वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त कर जनहित में उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कराया जा सकें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार। (कुल पृष्ठ)

26/3/21

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 ख0, लो0 नि0 वि0
नैनीताल

पत्रांक :– 747/(II) 29 M.G दिनांक – 26/03/2021

प्रतिलिपिः–सहायक अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0 नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26/3/21

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 ख0, लो0 नि0 वि0
नैनीताल

सलग्न "क" -1-

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/215/2016/एफ0 सी0/156 दिनांक: 15/05/2021

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:– जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के कि0मी0 0.00 (देवलामल्ला) से कि0मी0 2.00 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/20099/2016)

सन्दर्भ:– कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2701/FP/UK/ ROAD/20099/2016 दिनांक 29-04-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र (EDS) दिनांक 26.09.2016 द्वारा प्रस्ताव पर वांछित सूचनायें चाही गई थी जिसकी अनुपालन आख्या राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 29.04.2021 द्वारा प्रस्तुत की है। अतः राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:–

1. The case has already been closed vide letter dated 08.02.2018. अनुपालन आख्या राज्य सरकार द्वारा 4 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात प्रस्तुत की है। चूँकि प्रस्ताव को दिनांक 08.02.2018 में बन्द कर दिया गया है। अतः राज्य सरकार अनुपालन आख्या प्रेषित करने में विलम्ब होने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें एवं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र, उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मार्गदर्शी के पैरा 1.20 (re-opening of case) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
2. Details of Non-forest land has not been uploaded on nline portal, which is required to be done.
3. Some other document found uploaded instead of authorization certificate. State Govt. may upload the authorization certificate as additional information document on online portal.
4. Details of bridge and muck disposal not filled at para B 2.4 in Part I. State Government may upload the details of bridge in component wise breakup at para B 2.4 in Part I.
5. On perusal of KML file of proposed area, cutting work seems to be done. State Government may submit the report of DFO in this regard.
6. यदि प्रस्तावित मार्ग वन क्षेत्र में स्थित है तो राज्य सरकार द्वारा encroachment के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट कराई जायें।

संलग्न–

7. Shape of KML file and digital map of proposed area are not matching. State Govt. may upload the correct KML file and digital map of the proposed ensuring the shape is matching in both the files.
8. In place of SoI Toposheet, digital map found uploaded at para C iii in Part I. State Govt. may upload the SoI toposheet at para C iii in Part I online.
9. Google earth image map found uploaded at para C iv in place of digital map. State Govt. may upload the geo-referenced digital map at para C iv in Part I online.
10. Justification uploaded at para D found incomplete. State govt. may upload the complete justification at para D in Part I.
11. Details of alternate not provided at para D ii (a). State govt. may upload the details of alternatives at para D ii (a) in Part I.
12. 'Yes' is mentioned at para J in part I. State Government may submit comments in this regard.
13. No detail is filled at para 4 in part II. State Govt. may do the needful in this regard.
14. Photocopy of CA scheme uploaded in part II. State Govt. may upload original copy of the CA scheme.
15. Scientific names of the trees are not mentioned in the tree enumeration list uploaded online. State Govt. may provide the scientific name of the trees in the tree enumeration list uploaded online.
16. Muck disposal plan found very sketchy. State Government may submit/ upload the clear and complete muck disposal plan including the all details duly approved by the DFO.
17. State Govt. may upload the administrative approval, NPV Sheet, aerial distance certificate and work not start certificate as the same are not found uploaded.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

संलग्न – "ख" ①

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

पत्रांक :– 1557 / 29mg   दिनांक – 17/7/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी।

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 317/2013 के जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाडपानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए कच्चे मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर कॉजवे के निर्माण के संबंध में। (एफ0पी0/यू0के/रोड/20099/2016)

सन्दर्भः– भारत सरकार देहरादून के ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 15.05.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ऑनलाईन ई0डी0एस0 द्वारा लगायी गयी। निम्नलिखत आपत्तियों का बिन्दुवार निम्नवत निराकरण कर ऑनलाईन अपलोड करते हुए हार्ड प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

क0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	For point no 1 – the case has all ready been closed Vide letter dt. 08-02-2018 अनुपालन आख्या राज्य सरकार द्वारा 4 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात प्रस्तुत की गयी है। चूंकि प्रस्ताव को दिनांक 08.02.2018 में बन्द कर दिया गया है। अतः राज्य सरकार अनुपालन आख्या प्रेषित करने मे विलम्ब होने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें। एवं साथ यह भी सुनिश्चित करे कि कार्यक्षेत्र, उददेश्य एंव अन्य गहत्वपूर्ण पहलुओ के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नही किया गया है।इसके अतिरिक्त मार्ग दर्शी के पैरा (reopening of case) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करें।	महोदय इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड लो0नि0वि0 देहरादून का पत्रांक 1120/यातायात (क)–उ0/2012 दिनांक 01.02.2013 द्वारा निर्देशित किया गया था कि 250 की जनसंख्या से अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोडे जाने वाले मोटर मार्ग को पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड द्वारा मार्गो का निर्माण किया जायेगा। उक्त निर्देश के कम में इस मोटर मार्ग को इस कार्यालय के पत्रांक 1146/29 एम0जी0 दिनांक 19.07.2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 काठगोदाम को हस्तगत कर दिया गया था। (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न) जिस कारण प्रस्ताव के पूर्व अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने में विलम्ब हुआ है। अतः इस मार्ग की स्थानीय जनता की जरूरतों तथा माग के आधार पर इस मार्ग मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है। कृपया इस प्रस्ताव पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।
2	For point no 2 –Details of Non-forest land has not been uploaded on nline portal, which is required to be done.	इस बिन्दु के कम मे अवगत कराया जाना है कि इस मार्ग के समरेखण में मात्र आरक्षित वनभूमि प्रभावित होती है। जिसका विवरण फार्म–ए के पार्ट–। के पैरा A-1 (VIII) अंकित किया गया है। तथा इस परियोजना में नॉन–फॉरेस्ट प्रभावित नही होती है। इसलिए ऑन लाईन फार्म–ए के पार्ट–। के पैरा A-1 (IX) मे शून्य अंकित किया गया है।
3	For point no 3 – Some other document found uploaded instead of authorization certificate. State Govt may upload the authorization certificate as additional information document on online portal.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि Authorization प्रमाण पत्र ऑन लाईन फार्म–ए के पार्ट–। के पैरा A-3 (XVIII) मे अपलोड कर दी गयी है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न)
4	For point no 4 – Details ofbridge and muck disposal not filled at para B 2.4 in Part I. State Government may upload	इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि उक्त परियोजना मैदान क्षेत्र मे प्रस्तावित है। जिस कारण इस परियोजना में सेतु तथा मलुवा निस्तारण नही किया जाना और न ही आवश्यकता है। इसलिए इसका विवरण ऑन लाईन फार्म–ए के

सलग्न "A" -1

	the details ofbridge in component wise breakup at para B 2.4 in Part I.	पार्ट-। के पैरा B-2.4 में कम्पोनैन्ट वाइज ब्रेकअप अंकित नही किया गया है।
5	For point no 5 – On perusal of KML file of proposed area, cutting work seems to be done. State Govermment may submit the report ofDFO in this regard.	इस बिन्दु के क्रम मे अवगत कराया जाना है कि माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 317/2013 के जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाडपानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देयल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग मे परिवर्तित करते हुए कच्चे मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर कॉजवे के निर्माण किया जाना है। तथा इसकी वास्तविक लम्बाई 1.70 किमी0 एवं इस मार्ग का स्थलीय निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी द्वारा पूर्व में कराया गया है। जिसका स्थलीय निरीक्षण आख्या आपके स्तर से फार्म-ए के पार्ट -।। पैरा 15 एवं 16 में अपलोड किया जाना है।
6	For point no 6 – यदि प्रस्तावित मार्ग वन क्षेत्र में स्थित है तो राज्य सरकार द्वारा encroachment के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट कराई जायें।	बिन्दु सं0 5 के अनुसार।
7	For point no 7 – Shape of KML file and digital map of proposed area are not matching. State Govt. may corect KML file and digital map of the proposed ensuring the shape Is matching in both the files.	इस बिन्दु के क्रम मे अवगत कराया जाना है कि सही के0एम0एल0 फाईल ऑन लाईन फार्म-ए के पार्ट-। के पैरा C (b) में अपलोड कर दी गयी है।
8	For point no 8 – in place ofSol Toposheet, digital map found uploaded at para C ii in Part L State Govn. may upload the SoI toposheet at para C ii in Part I online.	इस बिन्दु के क्रम मे अवगत कराया जाना है कि टोपोसीट मैप को यथास्थान ऑन लाईन फार्म-ए के पार्ट-। के पैरा C (।।।) में अपलोड कर दी गयी है।
9	For point no 9 – Google earth image map found uploaded at para C iv in place ofdigital map. State Govt. may upload the geo-referenced digital map at para C iv in Part I online.	इस बिन्दु के क्रम मे अवगत कराया जाना है कि जिओ रिफ्रैन्स मैप को यथास्थान ऑन लाईन फार्म-ए के पार्ट-। के पैरा C (IV) में अपलोड कर दी गयी है।
10	For point no 10– Justification uploaded at para D found incomplete. State govt. may upload the complete justification at para D in Part I.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराया जाना है कि जस्टीफिकेशन को यथास्थान ऑन लाईन फार्म-ए के पार्ट-। के पैरा D (।) में अपलोड कर दी गयी है।
11	For point no 11 – Details ofalternate not provided at para D ii (a). State govt. may upload the details of alternatives at para Dii (a) in PartI.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराया जाना है कि अल्टरनेट डिटेल को यथास्थान ऑन लाईन फार्म-ए के पार्ट-। के पैरा D (।।) में अपलोड कर दी गयी है।
12	For point no 12 – 'Yes' is mentioned at para J in part I. State Government may submit comments in this regard.	इस बिन्दु के क्रम मे अवगत कराया जाना है कि फाईल ऑन लाईन अपलोड करते समय त्रुटिवश फार्म-ए के पार्ट-। के पैरा J मे 'yes' में अपलोड हो गया था जिसे सही अंकित कर दिया गया है।
13	For point no 13 – No detail is filled at para 4 in part II. State Govt. may do the needful in this regard.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराया जाना है कि फार्म-ए के पार्ट-।। के पैरा-IV में कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।
14	For point no 14 – Photocopy of CA scheme uploaded in part II. State Govt. may upload original copy of theCA scheme.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराया जाना है कि फार्म-ए के पार्ट-।। के पैरा- IV में कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।
15	For point no 15 – Scientific names of the trees are not mentioned in the tree enumeration list uploaded online state govt. may provided scientific name of the trees in the tree enumeration list uploaded online.	इस बिन्दु के क्रम में अवगत कराया जाना है कि वृक्षों की गणना सूची मे वैज्ञानिक नाम अंकित कर ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।

सलग्न– "A" (1)

16	For point no 16 – Muck disposal plan found very sketchy. State Government may submit/ upload the clear and complete muck disposal plan including the all details duly approved by the DFO.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि यह मार्ग मैदान क्षेत्र में प्रस्तावित है। जिस कारण इस मार्ग निर्माण से लगभग 15288.00 घनमीटर मलुवा उत्सर्जित होना है। (आगणन ऑन लाईन अपलोड) तथा मार्ग को मोटर मार्ग में बनाये जाने हेतु 17593.75 घनमीटर मलुवे की आवश्यकता है जो उत्सर्जित मलुवे से 2305.75 घनमीटर मलुवा अधिक है। अवशेष 2305.75 घनमीटर मलुवे को अलग से स्टोन कैशर से कय कर भरान किया जायेगा। जिसका प्राविधान डी0पी0आर0 में रखा जायेगा। इसलिए इस परियोजना हेतु मलुवा निस्तारण के लिए डम्पिंग यार्ड की आवश्यकता नही है।
17	For point no 17 – State Govt. may upload the administrative approval, NPV Sheet, aerial distance certificate and work not start certificate as the same are not found uploaded.	इस बिन्दु के कम में अवगत कराया जाना है कि प्रशासनिक स्वीकृति, एन0पी0ए0 प्रपत्र, हवाई दूरी का प्रमाण पत्र एवं कार्य प्रारम्भ ना होने का प्रमाण पत्र ऑन लाईन फार्म–ए पार्ट–। के अतिरिक्त संलग्नक के रूप में अपलोड कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कृपया प्रस्ताव में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। तॉकि वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति शीघ्र प्राप्त कर जनहित में उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कराया जा सकें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार। (कुल पृष्ठ)

17/7/21

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 ख0, लो0 नि0 वि0
नैनीताल

पत्रांक :– / दिनांक – / /

प्रतिलिपिः–सहायक अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0 नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 ख0, लो0 नि0 वि0
नैनीताल

संलग्न - ख

-1

UTTARAKHAND

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

उत्तराखण्ड शासन
E_Mail:- eepdpwdntl@gmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मार्गदर्शी के पैरा– 1.20 (re-opening of case) के तहत वनभूमि के समरेखन में कोई परिवर्तन नही किया गया है और पूर्व में जो प्रस्तावित वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया था उसी समरेखन में यह वनभूमि प्रस्ताव तैयार किया गया है। अतः मार्ग की स्थानीय जनता की जरूरतों तथा मांग के आधार पर इस प्रस्ताव को re-open करने की कृपा करें।

(इं0 दीपक गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 ख0, लो0 नि0 वि0
नैनीताल

संलग्न–2

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, छकाता राजि,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल)

पत्रांक सं0 643 / 12 हल्द्वानी दिनांक– 9 / 03 / 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–317 / 2013 के जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम–विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवलामल्ला) से किमी0. 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए कच्चे मार्ग का सुधारीकरण / पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे के निर्माण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–एफ0पी0 / यू0के0 / रोड / 20099 / 2016)

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 215 / 2016 / एफ0सी0 / 1447, दिनांक 19 / 01 / 2022 व आपका कार्यालय पत्र सं0 1451 / 12–1 दिनांक 28 / 01 / 2022, व पत्रांक सं0 1452 / 12–1 दिनांक 28 / 01 / 2022 तथा इस कार्यालय की पत्रांक सं0–625 / 12 दिनांक 3 / 3 / 2022 व पत्रांक सं0 636 / 12 दिनांक 6 / 03 / 2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा बिन्दु सं0 5 में 7 मी0 चौड़ाई पर वृक्षों की गणना करने हेतु निर्देश दिये गये थे जिस के क्रम में दिनांक 02 / 02 / 2022 को लोक निर्माण विभाग व वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा 7 मी0 चौड़ाई में वृक्षों की गणना की गयी, जिसकी सूची संलग्न है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(नवीन सैतेला)
वन क्षेत्राधिकारी,
छकाता राजि
हल्द्वानी वन प्रभाग

सेलम-2

संयुक्त जॉच रिपोर्ट

दिनांक 02.02.2022 को लोक निर्माण विभाग व वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी विकास खण्ड हल्द्वानी जिला नैनीताल के ग्राम विजयपुर –पहाडपानी पैदल मार्ग किमी0 0.00 (देवला मल्ला) से किमी 2.00 तक के मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करने के लिए 7.00 मी0 चौडाई में वृक्षों की गणना की गई, उक्त मार्ग 7.00 मी0 चौडाई का है जो पर्याप्त है। मार्ग में आने वाले वृक्षों की सूची निम्न प्रकार है।

क0सं0	वृक्ष की प्रजाति	व्यास श्रेणी	वृक्षों की संख्या
1	साल	5–6	1
		6–7	2
		योग	3
2	बकैन	4–5	1
3	गुलर	4–5	2
		5–6	2
		7 से ऊपर	2
		योग	6
4	हल्दू	7 से ऊपर	1
5	आम	4–5	1
6	जामुन	0–20	1
7	कोकाट	0–20	5
		कुल योग	18

(नवीन रौतेला)
वन क्षेत्राधिकारी,
छकाता राजि
हल्द्वानी वन प्रभाग

संलग्नक -

District Profile_Mar 2022											
S.No	Name of District	Geographical Area of District	Forest Area of District	Total Forest Area of Diverted since 1980	No. Of Cases Approved Cases	CA Including penal CA Stipulated (in ha)		Progress of CA (in ha)		Total CA Done	Total CA Progress in %
		(in ha)	(in ha)	(in ha)		In Forest Land	In Non-Forest Land	In Forest Land	In Non-Forest Land		
1	Nainital	679400	402040	6989.67	619	9370.00	499.19	7993.9923	499.19	8493.18	86.06

(*) Total are ==116.94 ha in 409 cases are less then 1 ha diversion.

/21

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लोक निर्माण विभाग
नैनीताल

E_Mail:- eepdpwdntl@gmail.com

पत्रांक :– 297 / 29mg

दिनांक – 11/02/22

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग
हल्द्वानी, नैनीताल

विषयः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.000 (देवलमल्ला) से 2.000 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 एफ0पी0 / यू0के0 / रोड / 20099 / 2016 के संबंध में।

सन्दर्भः– 1. भारत सरकार का पत्रांक सं0 8 बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 2015 / 2016 / एफ0सी0 / 1447 दिनांक 19.01.2022 एवं आपका पत्रांक 1453 / 12–1 दिनांक 28.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र द्वारा चाही गयी बिन्दुवार आख्या निम्नवत् प्रेषित हैः–

1. बिन्दु सं0 1 विषयांकित मार्ग की स्वीकृति के उपरान्त सर्वेक्षण एवं संमरेखन अनुमोदनापरान्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर प्रस्ताव दिनांक 20.06.2021 को ऑनलाईन अपलोड किया गया। तदोपरान्त प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 112 / 01 यातायात 30 / 2012 दिनांक 01.02.2013 में निर्देशित किया गया था, कि 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोड़े जाने हेतु समस्त निर्माण कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड द्वारा किया जायेगा। उक्त क्षेत्र की जनसंख्या 278 होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 1146 / 29 एम0जी0 दिनांक 19.07.2017 द्वारा अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 काठगोदाम को हस्तगत किया गया। परन्तु काफी समय के उपरान्त पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0 काठगोदाम ने अपने पत्रांक 220 / पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0 दिनांक 31.08.2020 द्वारा प्रकरण इस खण्ड को इस आशय से लौटाया गया कि संबधित ग्राम कोर नैटवर्क से नही जुड़ा होने के कारण मार्ग का निर्माण कार्य पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड से नही किया जा सकता है। जिसकी विस्तृत आख्या आपको इस कार्यालय के पत्र सं0 2058 / 8सी0 दिनांक 01.09.2021 द्वारा प्रेषित की गयी थी। (संलग्न–1) अतः उपरोक्त कारणों से आपत्तियों के निराकरण में समय लगा।
2. बिन्दु सं0 2 पर आख्या आपके स्तर से प्रेषित की जानी है।
3. बिन्दु सं0 3 में मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम 1980 से पूर्व ब्रिटिशकाल से निर्मित पैदल मार्ग पर ही प्रस्तावित किया गया है। पूर्व से निर्मित पैदल मार्ग हेतु 6.00 मी0 चौड़ाई में भूमि का अधिग्रहण किया जाता था, एवं पैदल मार्ग का निर्माण 2.00 मी0 चौड़ाई में किया जाता हैं। विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग का रखरखाव 16.00 किमी0 लम्बाई में इस खण्ड के अन्तर्गत है। अवशेष भाग पहाड़पानी तक अ0ख0, लो0नि0वि0 भवाली द्वारा किया जाता है। मोटर मार्ग निर्माण ब्रिटिशकाल से निर्मित पैदल मार्ग पर समय – समय पर नदी के डिपोजिट एवं भरान के कारण प्रारम्भिक लगभग 250 मी0 में मार्ग की चौड़ाई में बढ़ोत्तरी हुई। प्रस्तावित कार्य में पूर्व से निर्मित पैदल मार्ग के प्रथम दो किमी0 को मोटर मार्ग में परिवर्तन / सुधारीकरण / डामरीकरण एवं नदी में Causeway प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण इसी पैदल मार्ग पर प्रस्तावित किया गया है। जिस हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति आवश्यक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघन नही किया गया है। शासन

स्तर से भी मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रेषित डी0पी0आर0 की प्रशासकीय/वित्तिय स्वीकृति भी मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि विभाग के नाम हस्तान्तरण उपरान्त ही प्रदान की जाती हैं।

4. बिन्दु सं0 4 मोटर मार्ग का निर्माण पूर्व निर्मित पैदल मार्ग पर ही प्रस्तावित किया गया है।
5. बिन्दु सं0 5 प्रस्तावित मोटर मार्ग में वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 9.00 मी0 चौड़ाई में प्रस्ताव गठित किया गया है। दिनांक 02.02.2022 को आपके विभाग के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर मार्ग हेतु वृक्षों की गणना 7.00 मी0 चौडाई में की गयी है। वृक्षों की गणना सूची अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. बिन्दु सं0 6 भाग 2 पैरा 14 में आपके स्तर से आख्या प्रेषित की जानी है।
7. बिन्दु सं0 7 पैदल मार्ग पूर्व से निर्मित है। मार्ग के सुधार एवं निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति आवश्यक है।

उपरोक्त मार्ग के निर्माण होने से स्थानीय जनता को सुगम यातायात, कृषि व्यवसाय एवं चिकित्सा स्वास्थ्य इत्यादि की सुविधाएं प्राप्त होगीं। इसके साथ–साथ पर्यटन व्यवसाय के अवसर प्राप्त होगें।

अतः व्यापक जनहित एवं स्थल की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव अग्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्न – उपरोक्तानुसार

10/2/22

(इं0 दीपक गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0 नि0 वि0
नैनीताल

पत्रांक :– / दिनांक – / /

प्रतिलिपिः–अपर प्रमुख वन संरक्षण एंव नोड़ल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फॉरेस्ट कोलोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सहायक अभियन्ता द्वितीय, प्रा0ख0, लो0नि0वि0 नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0 नि0 वि0
नैनीताल

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946–220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

पत्रांक– 1453 /12-1 ,हल्द्वानी दिनांक– 28/01/2022

सेवा में,

अधिषासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

विषयः– **Meeting Notice of Fortnightly Coordination Meeting (FRCM) of January 2022-reg.**

संदर्भ :– अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–1838/1जी–2095 (रा०रा०प्रा०) दिनांक– 24/01/2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित व आपको पृष्ठांकित किया गया है का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, देहरादून के पत्र दिनांक–19.01.2022 द्वारा प्रकरण में आपत्तियां उठायी गयी हैं। अतः उठायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिष्चित करें।

भवदीय,

(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक : 1453 संख्या/उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, पष्चिमी वृत्त, रामपुर रोड, हल्द्वानी को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष / फैक्स : 05946-220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

पत्रांक- 1452 /12-1 ,हल्द्वानी दिनांक- 28 / 01 /2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नैनीताल।

विषय :- जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी० 0.00 (देवल तल्ला) से किमी० 2.00 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No- FP/UK/ROAD/20099/2016)

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/215/2016/एफ.सी./1447, दिनांक-19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आपत्ति उठायी गयी। उठायी गयी आपत्ति के बिन्दु संख्या-5 में 7 मी० सड़क चौड़ाई पर वृक्षों की गणना की जानी है। दिनांक-02.02.2022 की तिथि संयुक्त निरीक्षण हेतु निर्धारित की जाती है। अतः आप अथवा आपके द्वारा नामित प्रतिनिधि निर्धारित तिथि 02.02.2022 को समय से मौके पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक : 1452 संख्या/उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि- उप प्रभागीय वनाधिकारी नन्धौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- राजि अधिकारी छकाता को इस आशय से प्रेषित की निर्धारित तिथि पर समय से मौके पर मय स्टाफ के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी